निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1945 (श0)

(सं0 पटना 490) पटना, बृहस्पतिवार, 22 जून 2023

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना
21 जून 2023

जी0 एस0 आर0 03 दिनांक 22 जून 2023——भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 2423(अ) दिनांक 02.06.2023 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 के संदर्भ में राज्यपाल बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 09 दिनांक 19 अप्रैल 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा–पत्र –एकीकरण) आदेश, 1984 के खण्ड–03, कंडिका–18 के अन्तर्गत दालों के संचयन सीमा (स्टॉक लिमिट) के संबंध में निम्न आदेश निर्गत करते है, अर्थात्–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –**

   (1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 है।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थो पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 में, उप–खंड (2) में, मद (i) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

   (i) दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि के लिए, दालों नामतः तूर और उड़द को राज्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ रखा जाएगा ;

   - **थोक विक्रेताः प्रत्येक दाल के लिए 200 मीट्रिक टन;**
   - **खुदरा विक्रेताः प्रत्येक दाल के लिए 5 मीट्रिक टन;**
   - **बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता(बिग चैन रिटेलर्स)– प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन;**
   - **मिलरः स्टॉक सीमा विगत 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25%, इनमें से जो अधिक हो, होगी।**
   - **आयातकः आयातक द्वारा सीमा–शुल्क की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा।**

3. उपरोक्त, संबंधित विधिक इकाइयां भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल **(fcainfoweb.nic.in/psp)** पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा तक लाएंगी।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की नियमित घोषणा की जाए और इसे अद्यतन किया जाए।

(सं०–प्र04/आ–01/21/2731)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

The 21 June 2023

GSR 03 dated 22 June 2023—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), published through S.O 2423 (E) dated 02-06-2023 and in the context of removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on specified foodstuffs order, 2016 the Governor of Bihar is hereby pleased to issue the following order for the stock limit of pulses under Para 18 of the Section- 03 of Bihar Trade Articles (License Unification) Order, 1984 published by Food and Consumer Protection Department, Bihar vide Notification No. GSR 09 dated 19th April 1984 as follows:-

1. **Short Title and Commencement-**

(1) This order may be called the Removal Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2023.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified foodstuffs Order, 2016 in clause 3, in sub-clause (2), item (i) shall be inserted namely:-

(i) Pulses namely tur and urad for a period up to 31st October 2023 with following stock limits for all States and Union Territories:

- **Wholesaler: 200 MT for each of the pulse;**
- **Retailer: 5 MT for each of the pulse;**
- **Big Chain retailers: 5 MT for each of the pulse at each retail outlet and 200 MT at depot for each of the pulse;**
- **Millers: Stock limits will be last 3 months production or 25% of annual installed capacity, whichever is higher.**
- **Importers: Importers not to hold imported stock beyond 30 days from the date of custom clearance.**

3. Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal **(fcainfoweb.nic.in/psp)** of Department of Consumer Affairs Government of India and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 30 days of the issue of this notification.

4 It shall be ensured that pulses stock is regularly declared and updated on the portal of Department of Consumer Affairs, Government of India.

(No-Pra-04-aa-01/2021/2731)
By order of the Governor of Bihar,
Vinay Kumar,
Secretary to the Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 490-571+100-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in